

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): Madam, on behalf of Shri Nitin Jairam Gadkari, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Rural Management Anand, Anand, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Rural Management Anand, Anand, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 298/16/14]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Rural Development for the year 2014-2015. [Placed in Library, See No. LT 299/16/14]
- (ii) Outcome Budget of the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, for the year 2014-2015. [Placed in Library, See No. LT 300/16/14]
- (iii) Outcome Budget of the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, for the year 2014-2015. [Placed in Library, See No. LT 301/16/14]

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): I beg to lay on the Table a copy of the Waqf Properties Lease Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 380(E) in Gazette of India dated 5th June, 2014 under sub-section (2) of Section 12 of the Waqf Act, 1995.

[Placed in Library, See No. LT 302/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): On behalf of Shri Shripad Yesso Naik, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Culture for the year 2014-2015. [Placed in Library, See No. LT 303/16/14]
- (ii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Tourism for the year 2014-2015. [Placed in Library, See No. LT 304/16/14]
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above. [Placed in Library, See No. LT 305/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2014-2015. [Placed in Library, See No. LT 306/16/14]

(ii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Power for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 307/16/14]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Power Training Institute, Faridabad, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Power Training Institute, Faridabad, for the year 2012-2013.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 308/16/14]

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between the NHPC Limited and NHDC Limited for the year 2014-2015.
[Placed in Library, See No. LT 309/16/14]
- (ii) Memorandum of Understanding between the NTPC and the Ministry of Power for the year 2014-2015.
[Placed in Library, See No. LT 310/16/14]
- (iii) Memorandum of Understanding between the Indian Renewable Energy Development Agency Limited and the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2014-2015.
[Placed in Library, See No. LT 311/16/14]
- (iv) Memorandum of Understanding between the Solar Energy Corporation of India and the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2014-2015.
[Placed in Library, See No. LT 312/16/14]
- (v) Memorandum of Understanding between the Coal India Limited and the Ministry of Coal for the year 2014-2015.
[Placed in Library, See No. LT 313/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Drinking Water and Sanitation for the year 2014-2015.
[Placed in Library, See No. LT 314/16/14]
- (2) Outcome Budget of the Ministry of Drinking Water and Sanitation for the year 2014-2015.
[Placed in Library, See No. LT 315/16/14]
- (3) Outcome Budget of the Ministry of Panchayati Raj for the year 2014-2015.
[Placed in Library, See No. LT 316/16/14]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) का.आ. 1461(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कुट्टीपुरम-एडापल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 2855(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोडीकोड खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 3505(अ) जो 27 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मनुथी-अलुवा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का.आ. 3799(अ) जो 24 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोडीकोड खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पांच) का.आ. 2139(अ) जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (विलकौरीपेट-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का.आ. 133(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का.आ. 3748(अ) जो 20 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडाप्पा कुरुनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 3717(अ) जो 18 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विलकौरीपेट-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का.आ.3507(अ) जो 27 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडुगोलनू-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का0आ0 3638(अ) जो 11 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 नवंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का0आ0 1836(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (ग्यारह) का.आ.1289(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडुगोलनू-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का.आ.1979(अ) जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडाप्पा-कुरुनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का.आ.229(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (कोलकाता-वेन्नई कोरीडोर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का.आ.2767(अ) जो 12 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडुगोलनू-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 2429(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 219 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सोलह) का.आ. 1814(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का.आ. 2556(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (तिरुवेन्दम-कृष्णागिरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए

भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।

- (अठारह) का.आ. 2538(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तिरुची - करूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (उन्नीस) का.आ. 1335(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (डिंडिगुल-थेनी और कुमुली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (बीस) का.आ. 1431(अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (तिरुचिरापल्ली-कराईगुडी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (इक्कीस) का.आ. 2955(अ) जो 23 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुमनाकोनम-तंजापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (बाइस) का.आ. 564(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (कंभेयमपलायम-मेट्टुपलायम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (तेइस) का.आ. 2091(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुंडरपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (चौबीस) का.आ. 2489(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुबाकोनम-तंजापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (पच्चीस) का.आ. 1362(अ) जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुबाकोनम-तंजापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।

(Placed in Library, See No. LT 317/16/14)